रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-**1232**/2026/483/22-02-2026-17(216)/2026

लखनऊ: दिनांक: **23** सितम्बर, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार हरदोई में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामसनेही (बन्दी सं0-82/2025) पुत्र श्री रामनरायन, मो**0**-नौशहरा, कस्बा व थाना-साण्डी, जनपद-हरदोई का निवासी है, जिसे एस0टी0नं0-125/2021 में धारा-304बी, 498ए आई॰पी॰सी॰ व 4 डी.पी एक्ट के अन्तर्गत मा॰ न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, हरदोई के दण्डादेश दिनाक 10.04.2025 द्वारा 08 वर्ष का कारावास से दण्डित किया गया। मा॰ उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में बन्दी की अपील लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक-04.09.2025 तक अपरिहार 07 माह, 23 दिन तथा 08 माह, 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट हरदोई के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-**1232**/2026/483(1)/22-2-2026 एवं तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

2- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।

3- पुलिस अधीक्षक, हरदोई।

4- अधीक्षक, जिला कारागार हरदोई।

5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

6- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in